

न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-295 / 2012

संस्थित दिनांक-11.04.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियोजन****// विरुद्ध //**

1. शिवलाल पिता सुरेसिंह इनवाती, उम्र-37 वर्ष, जाति गोंड,
2. महेतलाल पिता सुरेसिंह इनवाती उम्र-32 वर्ष, जाति गोंड,
3. चर्चा उर्फ बनेश्वर पिता ईश्वर परते उम्र-24 वर्ष, जाति गोंड,
4. महेश पिता नंदलाल मरावी उम्र-23 वर्ष, जाति गोंड,
 सभी निवासी-ग्राम भिलेवानी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियुक्तगण ।****// निर्णय //****(आज दिनांक-17/08/2017 को घोषित)**

01. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323 / 34 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 13.03.2012 को 22:00 बजे ग्राम भिलेवानी थाना अंतर्गत बैहर में फरियादी जितेन्द्र उइके का रास्ता रोककर उसे स्वेच्छया बाधा डालकर उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था एवं फरियादी को लोक स्थान पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित कर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को लोहे की रॉड व हाथ मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जितेन्द्र उइके ने थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी कि दिनांक 13.03.2012 को शाम 06:00 बजे वह स्कारपियो वाहन लेकर ग्राम भिलेवानी मौसी भाई विजय उर्फ विक्की की शादी में गया था। स्कारपियो गाड़ी मौसी भाई विक्की के घर के सामने खड़ी कर दी थी। वह घर के अंदर चला गया था। घर से बाहर निकलकर

देखा तो दो छोटे लड़के गाड़ी से सजावट की माला निकाल कर हाथ में लपेट रहे थे। जिन्हें फरियादी नहीं जानता था। तब फरियादी ने उनसे कहा कि फूल माला हाथ में क्यों लपेट रहे हो, फरियादी उन्हें पकड़कर शादी वाले घर ले गया था। जहां पर लोगों ने ऐसा क्यों करते हो कहकर डांटकर भगा दिया था। करीब दस बजे रात्रि में शादी वाले घर से जब फरियादी अनीताबाई के घर जा रहा था तभी दो व्यक्तियों ने उसे रोका था और बोला था कि वह ड्रायवर है तब फरियादी ने कहा था कि वही ड्रायवर है। तब अभियुक्तगण उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे थे और कहा था कि उसने उनके बच्चों को क्यों डांटा कहकर अभियुक्त शिवलाल ने फरियादी को लोहे की राड से सिर पर मस्तक पर मार दिया था एवं अन्य अभियुक्तगण महेतलाल, चर्चा उर्फ बनेश्वर, महेश मरावी फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे थे। अनीताबाई के चिल्लाने पर सभी अभियुक्तगण भाग गये थे। अनीताबाई अभियुक्तगण को पहचानती है जो उसके गांव के हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बैहर ने अपराध क्रमांक 42/12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

03. अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

04. अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया था लेकिन बचाव साक्ष्य नहीं दी है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 13.03.2012 को 22:00 बजे ग्राम भिलेवानी थाना अंतर्गत बैहर में फरियादी जितेन्द्र उइके का रास्ता रोककर उसे स्वेच्छया बाधा डालकर उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को लोक स्थान पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को लोहे की रॉड व हाथ मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

06. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. जितेन्द्र उइके अ.सा.01 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह उसके मौसा भाई विक्की की शादी में अपनी स्कार्पियो गाड़ी फूलमाला से सजाकर ले गया था। उक्त गाड़ी उसने विजय के घर के सामने खड़ी कर दी थी। थोड़ी देर बाद आकर उसने देखा था तो एक लड़का गाड़ी से सजावट की माला निकाल कर हाथ में लपेट रहा था। तब साक्षी ने उस लड़के को धमकाकर भगा दिया था। पुनः वह लड़का थोड़ी देर बाद आकर माला निकाल रहा था तब उक्त साक्षी ने उसे समझाकर एक चांटा मारकर भगा दिया था। जब साक्षी रात्रि में आठ-नौ बजे उसकी मौसी बहन अनीता के साथ शादी वाले घर से अनीता के घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे तीन-चार व्यक्तियों ने रोका था और पूछा था कि वह गाड़ी का ड्रायवर है तब साक्षी ने कहा था कि गाड़ी का ड्रायवर वही है। इतने में एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड निकालकर साक्षी के सिर में मार दी थी जिससे साक्षी को खून निकलने लगा था और वह बेहोश हो गया था। राड से मारने वाले व्यक्ति के साथ उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने भी उक्त साक्षी के साथ हाथ एवं लात से मारपीट की थी। इसके बाद उक्त साक्षी ने घटना की रिपोर्ट की थी जो प्र.पी.03 है। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर एवं बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन अनीताबाई ने उसे मारनेवाले व्यक्तियों के नाम शिवलाल इनवाती, महेतलाल, चर्चा उर्फ बनेश्वर और महेश मरावी बताये थे। अभियुक्तगण अनीताबाई के गांव के हैं इस कारण वह उन्हें नाम से जानती है। अभियुक्त शिवलाल ने साक्षी को लोहे की राड से सिर पर मारा था।

08. अनीताबाई अ.सा.01 का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना वर्ष 2012 की रात्रि के लगभग 10:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसके चाचा के घर से अपने घर जितेन्द्र के साथ पैदल जा रही थी। तब अभियुक्त शिवलाल और महेतलाल उनके पास आये थे और अभियुक्त महेतलाल ने जितेन्द्र से पूछा था कि वह गाड़ी का ड्रायवर है तो जितेन्द्र ने कहा था कि गाड़ी का ड्रायवर वही है। तब शिवलाल ने लोहे की सबल से जितेन्द्र के सिर में मार दिया था। जितेन्द्र बेहोश हो गया था। अभियुक्तगण महेतलाल और शिवलाल के साथ अन्य ग्यारह-बारह लोग थे सभी जितेन्द्र को हाथ मुक्के, जूते चप्पल से मारने लगे थे। पुलिस ने साक्षी का बयान लिया था। पुलिस ने उक्त साक्षी के सामने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.01 बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त शिवलाल ने जितेन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

09. नैनसिंह अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से चार-पांच वर्ष पूर्व की रात्रि की आठ-नौ बजे की उसके घर के सामने की है। आवाज आने पर साक्षी ने बाहर आकर देखा था तो मार खाने वाला उसके घर की देहलीज में आकर बैठ गया था। अनीताबाई ने बीच बचाव किया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण जितेन्द्र के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर रहे थे। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि शिवलाल के हाथ में उस समय लोहे की राड थी। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 के कथन देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी को घटना के बारे में जानकारी नहीं है। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

10. रामभजन साहू प्रधान आरक्षक अ.सा.04 का कहना है कि दिनांक 13.03.2013 को फरियादी जितेन्द्र ने थाना बेहर में उपस्थित होकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 42/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को इस साक्षी ने जितेन्द्र का मेडिकल फार्म भरकर उसे मेडिकल के लिए भेजा था। मेडिकल फार्म प्र.पी.04 है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.03 की रिपोर्ट अभियुक्तगण को फंसाने के लिए लिखी थी। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।

11. प्रकरण में जितेन्द्र ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण के नाम नहीं बताये हैं। लेकिन उसने यह बताया है कि घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण को उसकी बहन अनीताबाई नाम से जानती है। जितेन्द्र एवं अभियुक्तगण अलग-अलग गांव के हैं। इस कारण जितेन्द्र अभियुक्तगण के नाम नहीं जानता है। जितेन्द्र ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी एवं अभियुक्त शिवलाल ने राड से मारपीट नहीं की थी। घटना के संबंध में अनीताबाई ने अभियुक्त महेतलाल और शिवलाल की पहचान सुनिश्चित कर यह बताया है कि अभियुक्त शिवलाल एवं महेतलाल ने जितेन्द्र के साथ मारपीट की थी एवं अभियुक्त महेतलाल एवं शिवलाल के साथ अन्य ग्यारह-बारह व्यक्ति और थे उन्होंने जितेन्द्र के साथ हाथ मुक्के एवं जूते चप्पल से मारपीट की थी। अनीताबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण के सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने जितेन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। परंतु अनीताबाई ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्त महेतलाल एवं शिवलाल के द्वारा ही जितेन्द्र के साथ मारपीट करने के बारे में बताया है। एवं अन्य अभियुक्त चर्चा उर्फ बनेश्वर एवं महेश के द्वारा जितेन्द्र के साथ मारपीट करने के बारे में नहीं बताया है। अनीताबाई अ.सा.01 एवं जितेन्द्र अ.सा.03 की साक्ष्य में अभियुक्त चर्चा उर्फ बनेश्वर एवं महेश मरावी के द्वारा जितेन्द्र के साथ मारपीट करने के बारे में विरोधाभास है। अनीताबाई, जितेन्द्र एवं प्रकरण के अन्य किसी स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि अभियुक्त चर्चा उर्फ बनेश्वर एवं महेश मरावी ने जितेन्द्र के साथ मारपीट की थी। अनीताबाई की साक्ष्य से जितेन्द्र के साथ हुई मारपीट का एवं जितेन्द्र की साक्ष्य का समर्थन होता है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त महेतलाल एवं शिवलाल ने एक राय होकर सामान्य आशय के आग्रसरण में फरियादी को लोहे की रॉड व हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

12. अनीताबाई अ.सा.01, नैनसिंह अ.सा.02, जितेन्द्र अ.सा.03, ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण घटना के समय माँ बहन की अश्लील गालियां दे रहे थे। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर जितेन्द्र को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

13. अनीताबाई अ.सा.01, नैनसिंह अ.सा.02, ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी का रास्ता रोका था। जितेन्द्र अ.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि तीन-चार लोगों ने रास्ता रोका था। लेकिन जितेन्द्र ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि रास्ता रोकने वाले अभियुक्त कौन थे। जितेन्द्र ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि उसे रास्ते में अभियुक्तगण ने रोका था यदि उक्त बात पुलिस रिपोर्ट में लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र एवं प्रकरण के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी का रास्ता रोका था।

14. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियोजन पक्ष प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियुक्त चर्चा उर्फ बनेश्वर एवं महेश मरावी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण चर्चा उर्फ बनेश्वर एवं महेश मरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शिवलाल एवं महेतलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण शिवलाल एवं महेतलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं कमशः 300-300/- (तीन-तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अभियुक्तगण को कमशः 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना है इस कारण अभियुक्तगण को कम सजा से दण्डित किया गया है।

15. अभियुक्तगण का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16. प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

17. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की रॉड दो फीट लम्बी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)